तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.24	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। पत्रावली विप्रार्थी 6 ता 9 के जवाब हेतु अवसर दिया जाकर दिनांक 12.12.24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
12.12.24	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02.01.25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
02.1.25	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। विप्रार्थी 6 ता 9 के जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 09.01.25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
09.1.25	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है व प्रार्थी का जन्मतः हक हिस्सा निहित होने से माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 08.07.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा तकसीमा वाद कन्फर्म को जारी रखते हुए किया जावे। इसके विपरीत विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को उनके हिस्सा का हिसाब उनकी शादी में चल व अचल सम्पत्ति के रूप में दिया जा चुका है तथा वर्तमान में विवादित आराजी में प्रार्थीनी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने से प्रार्थीनी द्वारा मात्र हम विप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उक्त आवेदन मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावें।	
	हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पूर्व पुरुष धन्नाराम के फौत होने पर उनके वारिसान को विरासत में प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थीनी उनकी जायंदा संतान होने से उनका पैतृक रूप से हक हिस्सा निहित है। वर्तमान में यदि वाद निस्तारण से पूर्व अन्य खातेदारान को पाबंद नहीं किया जाता है तथा भूमि का आगे हस्तान्तरण अथवा बेचान किया जाता है तो इससे प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी तथा अपने पैतृक खातेदारी अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। अतः उक्त स्थिति में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 08.07.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जाकर ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के हमरिश्ता हो।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) शिव	